संख्या- 08 /2019/152/22-4-19-107(ब)/12टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 14 फरवरी, 2019

विषय- प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्थापित कराये गये सीसीटीवी कैमरों की फीड करागार मुख्यालय में प्राप्त कर निगरानी की व्यवस्था की कार्ययोजना तथा इसके अन्तर्गत कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल बनाये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40717/आधु0-1/वीडियो वॉल/2018, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 एवं पत्र संख्या-3011/आधु0-1/वीडियो वॉल/2018, दिनांक 04.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्थापित कराये गये सीसीटीवी कैमरों की फीड करागार मुख्यालय में प्राप्त कर निगरानी की व्यवस्था की कार्ययोजना तथा इसके अन्तर्गत कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल बनाये जाने हेतु अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए निम्न विवरणानुसार रू0 1629.61 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 5,95,36,000/-(रूपया पॉच करोड़ पन्चानवे लाख छतिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र0	कार्य मद	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	कारागार मुख्यालय में वीडियो वॉल की स्थापना (डिसप्ले वॉल, सीपीयू, कनेक्टिंग हार्डवेयर व स्थापना व्यय)	146.60	146.60
2	कारागार मुख्यालय में डाटा संरक्षण हेतु हार्डवेयर एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था	228.51	228.51
3	कमाण्ड सेण्टर को संचालित करने हेतु आवश्यक साफ्टवेयर संरचना	460.00	200.00
4	कारागारों से फीड प्राप्त करने हेतु कारागार स्तर पर आवश्यक हार्डवेयर एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था	794.50	20.25
	योग-	1629.61	595.36

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्त सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

(घ) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायएं, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(च) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य दिनांक 30.03.2019 तक कर लिया जाय।

(छ) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(ज) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयन्त्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**08**/2019/152(1)/22-4-2019-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in